an>

Title: Issue regarding brutal rape and murder of a girl in Ahmednagar, Maharashtra.

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे महाराष्ट्र के कोपरडि में घटित घटना पर बोलने का समय दिया। मेरी बहन रंजिता रंजन ने भी मामला उठाया था।

मेरी आपसे विनती है कि महाराष्ट्र में 14 साल की एक लड़की जो शाम को घर से अपने नाना से मिलने के लिए जा रही थी, वापस आते वक्त पास वाले गांव के चार लड़ाकों ने उसे छेड़ा, बलात्कार किया और सिर्फ बलात्कार नहीं, जिस तरह से उसका खून किया गया, उसको मैं बयान नहीं कर सकती हूं कि कैसी परिस्थिति में वह सब हुआ? दुःख की बात यह है कि लड़की मां दो दिन तक भटकती रही, लड़की को ढूंढ़ा, उसके बाद वह कम्पलेंट करने पुलिस थाने गयी, लेकिन उसको दो दिन तक कोई न्याय नहीं मिला। लेकिन जब यह बात सोशल मीडिया में आयी तो यह बात पूरे राज्य में फैल गयी। उसके बाद अहमदनगर के लोकल एसपी वहां गए और तब जाकर यंत्रणा शुरू हुई। मेरे ख्याल से दो-तीन साल पहले दिल्ली में जो घटना हुई थी, उसके बाद हम सभी ने एक सुर और आवाज में इस देश को नये कायदे दिए, लेकिन आज मुझे बोलते हुए दुख होता है कि चाहे वह बुलंदशहर की घटना हो, कल हरियाणा में जो घटना हुई है और चाहे वह महाराष्ट्र की घटना हो, समाज में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। मैं यह मानती हूं कि कोई सरकार चाहे किसी की हो, यह नहीं कहती है कि वह सही है या गलत है, सभी एमपीज़ एक आवाज में इस बात को बोलते हैं। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम सब एक साथ खड़े होकर यह देखें कि इस बारे में और क्या किया जा सकता है? मुझे लगता है कि जो मेंटैलिटी है, जब तक फास्ट ट्रैक सिस्टम या कोई एक्स्ट्रीम स्टैप, जिसमें पब्लिकली फांसी दे दें, मुझे पता है कि ऐसा बोलना गलत है, लेकिन कुछ न कुछ एक्शन लेने की जरूरत है।

मैडम, आपको यह सुनकर दुःख होगा, लेकिन अहमदनगर के सारे स्कूलों में आज लड़कियां नहीं गयी हैं। हर मां यह बोल रही है कि बच्ची को स्कूल भेजने पर उन्हें डर लग रहा है।

यह जो सोच आज समाज में आ रही है, वह बुरी है। हम एक तरफ तो बोल रहे हैं कि महिलाओं को सारे अधिकार मिलने चाहिए और दूसरी तरफ रिग्रेसिव हो रहा है। अगर हम इस पर अच्छे से चर्चा करें और पुलिस सेंसटिविटी, लोकल थाने में जो पुलिस वाले काम करते हैं, एसपी ध्यान दे देता है, लेकिन जो कांस्टेबल या हवलदार होता है, उसको अगर सेंसटाइज करें ताकि ऐसे लोगों में पुलिस का डर और दहशत हो सके।

माननीय अध्यक्ष : आपने बहुत संवेदनशील मामला उठाया है और आपने सही कहा है।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री सुप्रिया सुले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

The House stands adjourned to meet again at 2:25 pm.

13.23 hours

The Lok Sabha then adjourned till Twenty-Five Minutes

past Fourteen of the Clock.

14.25 hours

The Lok Sabha re-assembled at Twenty- Five Minutes past Fourteen of the Clock.

(Hon. Deputy Speaker in the Chair)